B - III & IV
L - 23
J. Polity.

समाजवाद का आधार

- भारतीय संविधान में विभिन्न विचारधाराओं के बीच एक बेहतरीन सामंजस्य स्थापित किया गया है और निदेशक तत्व में उदारवाद, समाजवाद, गांधीवाद सभी प्रकार की विचारधाराओं के मूल आधार विद्यमान हैं।
- निदेशक तत्व में यह सुनिश्चित किया गया है कि सम्पत्ति का केन्द्रीकरण कुछ हाथों में नहीं होगा और संपत्ति का स्वामित्व इस प्रकार होगा कि समुदाय की भलाई सुनिश्चित हो [अनुच्छेद - 39 (b) & 39(c)]
- इंदिरागांधी सरकार के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवादी विचारों को और प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया और निदेशक तत्वों के भाग में निःशुल्क वैधानिक सहायता का अधिकार [अनुच्छेद - 39(a)] जोड़ा गया।
- श्रमिकों की प्रबंधन मे भागीदारी को [अनुच्छेद 43(a)] भी जोड़ा गया। [42वें संविधान संशोधन]

42वें संविधान संशोधन से पर्यावरण की रक्षा के प्रावधान भी संविधान में जोड़े गए, जिसे उदारवाद और समाजवाद की श्रेणी में विभाजित करना कठिन है। [अनुच्छेद 48(a)]

• 86वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद-45 में परिवर्तन करते हुए यह उल्लेखित किया गया कि राज्य के द्वारा 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा और अन्य सुविधाओं को प्रदान किया जायेगा।

• 1991 से भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों को अपना लिया गया जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य का भी निजीकरण हुआ। अतः आलोचकों ने उदारीकरण को निदेशक तत्वों के प्रतिकूल माना।

• उदारीकरण और बाजारवाद के द्वारा सामाजिक न्याय और कल्याणकारी राज्य के आदर्श का परित्याग नहीं किया गया है अपितु अर्थव्यवस्था को कुशल और प्रतिस्पर्धी बनाकर निदेशक तत्वों को प्रभावी बनाने की रणनीति अपनाई गई है।

• वास्तविकता यह है कि जिस प्रकार अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो रही है राज्य के सामाजिक कल्याण के कार्य भी उतने ही प्रभावी हो रहे हैं।

राज्य के अन्तर्गत सेवाओं में आरक्षण (ST/SC को) देते समय सेवाओं की कुशलता को ध्यान में रखा जाएगा ← अनुच्छेद 335

अनुच्छेद 350(A) - अल्पसंख्यक समुदाय (भाषायी) को राज्य उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करायेगा।

राज्य का दायित्व है हिन्दी को बढ़ावा देना ← अनुच्छेद 351.

निदेशक तत्व नैतिक या बाध्यकारी :-

- सामान्यत: यही समझा जाता है कि निदेशक तत्व नैतिक है और यह वादयोग्य और बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन संविधान में इसे बाध्यकारी बनाने का एक आधार विद्यमान है जो अनुच्छेद-365 में विद्यमान है जिसके अनुसार यदि किसी राज्य के द्वारा संघ सरकार द्वारा दिये निर्देशों का पालन न किया जाए तो उस राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जा सकता है लेकिन भारतीय गणतंत्र के विगत 75 वर्षों के कार्यकरण में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब अनुच्छेद 365 के उल्लंघन पर अनुच्छेद 356 लागू किया गया हो। इसलिए निदेशक तत्व नैतिक ही प्रतीत होते है।

अनुच्छेद 365

अनुच्छेद 355

(i) संघ का दायित्व है कि राज्य की बाहरी आक्रमण और आन्तरिक गड़बड़ी से सुरक्षा करें।

अनुच्छेद 356

(i) यदि राज्य का प्रशासन संविधान के तंत्र के अनुसार संचालित न हो तो राष्ट्रपति स्वयं अथवा राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर समूचे राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले लेगा।

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति :-

- निदेशक तत्व के भाग IV में अनेक विशेषताएं अन्तर्निहित हैं क्योंकि यह सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र का आधार है, यह सामाजिक आर्थिक अधिकार है। इससे भी बढ़कर निदेशक तत्व के अनुच्छेद-51 में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति का प्रावधान उल्लेखित है जिसके अन्तर्गत भारत अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का शान्तिपूर्ण समाधान करेगा और अन्तर्राष्ट्रीय विधि का सम्मान करेगा।

वर्तमान विश्व में युद्ध के अनेक खतरें विद्यमान हैं और भारत विश्व में शान्ति और सद्भाव की पहल कर रहा है। जापान के अलावा भारत ही एक लोकतांत्रिक राज्य है जहां संविधान में शान्ति के प्रावधान का उल्लेख है।

निदेशक तत्व की व्यवहारिकता

- आम नागरिकों के लिए निःशुल्क वैधानिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु संसद के द्वारा राष्ट्रीय वैधानिक सेवा आधिकारिता अधिनियम का निर्माण किया गया, जिसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय 5 लाख रूपये से कम होगी अथवा वे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और किसी दंगे / आपदा से पीड़ित व्यक्ति है तो उन्हें उच्चतम न्यायालय में निःशुल्क वैधानिक सहायता दी जायेगी।

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

- निःशुल्क वैधानिक सहायता के लिए प्रत्येक राज्य अपने पृथक आर्थिक आधारों का निर्माण करेंगे।

- उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश NALSA का मुख्य संरक्षक होता है।

- मूल अधिकार के अनुच्छेद 19 में किसी भी नागरिक को व्यवसाय करने का अधिकार है लेकिन बिहार राज्य के द्वारा अनुच्छेद 47 का सहारा लेते हुए शराबबंदी की घोषणा की गई।

- लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के द्वारा विशेष उपाय किए जा रहे हैं पंचायती राज (73वाँ संविधान संशोधन) के द्वारा निदेशक तत्वों को क्रियान्वित किया गया है। (अनुच्छेद 40)

- निदेशक तत्व में एक ही प्रावधान ऐसा है जिसे राज्य फिलहाल क्रियान्वित नहीं कर पा रहा है वह है समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद-44)

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

समान नागरिक संहिता :-

- संविधान लागू होने के बाद उत्तराखण्ड पहला राज्य बन गया है जिसके द्वारा समान नागरिक संहिता का कानून बनाया गया है।
- जिसके अनुसार उत्तराखण्ड में रहने वाले किसी भी धर्मावलंबी के लिए विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विवाह के उम्र के एक ही प्रावधान होंगे।
- समान नागरिक संहिता के इस प्रावधान से जनजातीय समुदाय को पृथक रखा गया है। क्योंकि संविधान की पांचवी और छठी अनुसूची के द्वारा जनजातीय समुदाय की वैवाहिक परम्पराओं को विशेष संरक्षण दिया गया है।
- उत्तराखण्ड के द्वारा लिव इन रिलेशनशीप में रहने वाले व्यक्तियों के लिए भी पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है और चौकाने वाली बात यह कि उत्तराखण्ड के निवासी जो उत्तराखण्ड से बाहर रह रहे हैं उनके लिए भी पंजीकरण आवश्यक है।

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR